भाग–2
(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

	परियोजना/स्कीम का स्थान	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एन0एच0डी0पी0) चरण–VII के अंतर्गत अयोध्या बाईपास (उत्तरी अयोध्या बाईपास 112+540 किमी0 से शुरू होकर एनएच–28 के किमी0 139+928 पर समाप्त होता है और दक्षिणी अयोध्या बाईपास 112+540 से शुरू होकर एनएच–28 के किमी0 153+281 पर समाप्त होता है, जिसकी कुल लम्बाई 67.572 किमी0 है) के 4/6 लेन विकास से अयोध्या वन प्रभाग में प्रभावित 1.586 हे0 संरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य
	(1) राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तर प्रदेश
	(2) जिला	अयोध्या
	(3) वन प्रभाग	सामाजिकी वानिकी वन प्रभाग अयोध्या
	(4) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल (हे0 में)	1.586हे0
	(5) वन की कानूनी स्थिति	संरक्षित वन भूमि पर स्वामित्व भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का है।
	(6) हरियाली का घनत्व	0.5
	(7) प्रजातिवार वैज्ञानिक नाम और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एक आर0एल0एफ0आर0एल0–2 मी0 पर परिगणना और एफ0आर00एल0–4 मी0 भी संलग्न किए जाए।	प्रभावित संरक्षित वन भूमि पर कुल 83 (तिरासी) वृक्ष स्थित हैं, वृक्षों की सूची प्रस्ताव में संलग्न है।
	(8) भू–क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदन शीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी ।	समतल भूमि है तथा भूमि पर झाड़िया भी है अतः क्षेत्र की भू–क्षरण हेतु संवेदनशीलता न्यूनतम है।
	(9) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी।	रोड पटरिया संरक्षित वन भूमि है प्रस्तावित भूमि संरक्षित वन भूमि से लगी है।
	(10) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरिडोर, आदि का भाग है। (यदि हॉ क्षेत्र काब्योरा प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाए)	नही।
	(11) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणी जाति की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियॉ पायी जाती है, यदि हॉ/नही तो तत्संबंधी ब्योरा दें।	नही।
	(12) क्या कोई सुरक्षित पुरातात्वीय/पारंम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिस्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हॉ तो तत्संबंधी ब्योरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र केसाथ, यदि अपेक्षित हो दें।	नही।
8	प्रयोक्ता एर्जेसी द्वारा भाग–1 कॉलम–2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नही तो जॉचे गए विकल्पों के ब्योरा के साथ मदवार संस्तुति क्षेत्र क्या है।	वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य है इसके अतिरिक्त कोई अन्य बिकल्प नही है। भूमि हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित वन भूमि न्यूनतम है।
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हॉ/नही) यदि हॉ तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्योरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहे है।	नही।

10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्योराः–	संलग्न है।
	(1) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अविकसित वन क्षेत्र आसपास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू–खण्ड का आकार।	प्रतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित वन भूमि वन क्षेत्र में स्थित है।
	(2) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अविकमित वन क्षेत्र और आसपास के वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	भूमि की के0एम0एल0 फाइल व डिजिटल मैप संलग्न है।
	(3) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूचित लागत ढॉचा आदि।	संलग्न है।
	(4) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिएकुल वित्तीय परिव्यय।	रूपया–857479.00
	(5)प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	संलग्न है।
11	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण्र रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कॉलम 7 (XI, XII) 8 और 9 में पूँछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	संलग्न है।
12	विभाग/जिला प्रोफाइल।	
	(1) जिले का भौगोलिक क्षेत्र	2646.20 वर्ग कि0मी0 या 264620.00 हे0
	(2) जिले का वन क्षेत्र	3646.202 हे0
	(3) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कोई वन क्षेत्र	42 मामले302.930818 हे0
	(4) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल क्षतिपूरक वनीकरण	311.003056 हे0
	(क) दण्ड के रूप में क्षतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	रिक्त
	(ख) वनेत्तर भूमि	रिक्त
	(5) अबतक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति	
	(क) वन भूमि पर	66.03124 हे0
	(ख) वनेत्तर भूमि पर	रिक्त
13	प्रस्ताव को स्वीकार करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एन0एच0डी0पी0) चरण–VII के अंतर्गत अयोध्या बाईपास (उत्तरी अयोध्या बाईपास 112+540 किमी0 से शुरू होकर एनएच–28 के किमी0 139+928 पर समाप्त होता है और दक्षिणी अयोध्या बाईपास 112+540 से शुरू होकर एनएच–28 के किमी0 153+281 पर समाप्त होता है, जिसकी कुल लम्बाई 67.572 किमी0 है) के 4/6 लेन विकास से अयोध्या वन प्रभाग में प्रभावित 1.586 हे0 संरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी प्रयोग हेतु प्रस्ताव की संस्तुति की जाती है।

तिथि 15/09/2022
स्थान–अयोध्या

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग अयोध्या।